न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 27/2021 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

पूरणमल पुत्र घासीराम जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम आमाली तह० बसवा जिला दौसा राज.
... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बडौदरा मुंम्बई संख्या 148 एन. कार्यालय आगरा रोड, रावत होटल के पीछे, दौसा

... अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

संशोधित आदेश दिनांक 18.6.2025

प्रार्थना पत्र 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2025 के अंतिम पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ में सहवन से "भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा ग्राम समलेटी के खसरा नंबर 1004 व 1005 पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत रखा जाता है" अंकित हो गया। अब पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2025 के अंतिम पृष्ठ के द्वितीय पैराग्राफ में निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है "भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा ग्राम आमाली के खसरा नंबर 265 पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत रखा जाता है"।

यह संशोधित आदेश मूल निर्णय का भाग रहेगा। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 27/2021 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

पूरणमल पुत्र घासीराम जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम आमाली तह० बसवा जिला दौसा राज.
... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बडौदरा मुंम्बई संख्या 148 एन. कार्यालय आगरा रोड, रावत होटल के पीछे, दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 30.05.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम आमाली के खसरा नंबर 2265 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी ग्राम आमाली तहसील बसवा जिला दौसा का निवासी काश्त व्यवसायी व्यक्ति है। प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 265 गै०मु० आबादी एवम कृषि भूमि पर पुख्ता मकान बना रखा है। खतौनी सं0 5 पर अंकित भूमिया किता पांच के रकबा 14 ऐयर मे प्रार्थी के पिता घासी पुत्र रामनारायण का हिस्सा 1/8 है। प्रार्थी का मकान दो मंजिला 32 इंटू 34 फीट माप कुल क्षेत्रफल 1088 वर्ग फीट पर बना हुआ है जिसका धरातन प्रथम तल पूर्ण बना हुआ है, दूसरी मंजिल के उपर आधा निर्माण करवाया हुआ है। प्रार्थी अपने मकान का नक्शा ब्ल्यूप्रिन्ट प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली बडोदरा मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के लिए ग्राम आमाली तहसील बसवा में भी भूमि अवाप्त कीह गई है अतः ग्राम आमाली तह0 बसवा मे अवाप्त की गई भूमि मे प्रार्थी का रिहायशी मकान अवाप्ति क्षेत्र मे आने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा मकान की अवाप्ति पर प्रतिकर राशि कुल 12,79,004/– रूपये स्वीकृत किये है जिसके संबंध में प्रार्थी ने आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 265 ग्राम आमाली मे बने अवा[illegible] मकान का उचित प्रतिकर (मुआवजा ) निर्धारण नही किया है। अप्रार्थी संख्या दो [illegible] अधिकारी प्रार्थी के मकान को ध्वस्त करने पर आमादा है। प्रार्थी का [illegible] 20[illegible] करवाया हुआ है। मकान डी. बी. 118ए के रूप में भूमि अवाप्ति कार्यवाही मे चिन्हित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई नें सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड बांदीकुई द्वारा अवाप्तशुदा मकान के मुल्यांकन के आधार पर प्रतिकर निर्धारण किया है। सहायक अभियंता द्वारा प्रार्थी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

अनुपस्थिति मे प्रार्थी के मकान की लागत का मुल्यांकन स्वैच्छिक रूप से किया है जो वास्तविक मुल्यांकन से काफी कम है। सहायक अभियंता ने प्रार्थी के मकान का सम्पूर्ण मुल्यांकन नही किया है। भूमि अवाप्ति से प्रार्थी कें मकान के आधे भाग का मुल्यांकन किया है जबकि अवाप्ति स्वरूप प्रार्थी के मकान को ध्वस्त किये जाने पर सम्पूर्ण मकान ध्वस्त होगा। मकान में आर.सी.सी की छते है तथा आधुनिक साज सज्जा से बनाया हुआ है। मार्बल ग्रेनाईट से फिसिंग करवाई हुई। प्रार्थी के पास इस मकान के अलावा रिहायशी के लिए अन्य कोई मकान नही है। प्रार्थी काश्त व्यवसायी व्यक्ति है, जिसने जीवन भर की कमाई से यह आवास निर्माण करवाया है जिसका उचित प्रतिकर मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अवाप्तिस्वरूप पूरा मकान ध्वस्त होगा। प्रार्थी ने अपने मकान की लागत का मुल्यांकन श्री राकेश अग्रवाल चार्टरड अभियंता सरकार द्वारा अप्रूव्ड वेल्युअर से करवाया जिसके प्रतिवेदनानुसार प्रार्थी के मकान की लागत 26,17,389/– रूपये मुल्यांकन किया गया है जबकि सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बांदीकुई द्वारा अवाप्तशुदा मकान का मुल्यांकन 6,39,502/–रूपये मात्र किया गया है जिसके दोगुनी राशि गया 12,79,804/–रूपये प्रतिकर निर्धारित किया है जो उचित प्रतिकर नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली वडोदरा मुम्बई के लिए ग्राम आमाली तह0 बसवा में अवाप्त प्रार्थी के मकान डी. बी. 118 ए की उचित प्रतिकर राशि 26,17,389/–रूपये की दोगुनी राशि 52,34,778/–रूपये उचित प्रतिकर अप्रार्थीगण से दिलवाई जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई के द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का विधिवत रूप से संरचना का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी गलत आधारों पर अधिक मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित को देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के 149.000 किमी. से 170.800 किमी. (दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खंड (क) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के 149.000 किती. से 170.800 तक के भूखंड निर्माण के लिए भूमि अपेक्षित है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 4114(अ) दिनांक 21.06.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 2_.0_.2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान के दो स्थानीय समाचारपत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ... के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन ज़ारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनो में दिनांक 08.02.2019 के अंको में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि वाके ग्राम आमाली तहसील बसवा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम आमाली तहसील बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई । उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई । उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्ममों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहीत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकरी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवा[illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को [illegible] करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए [illegible] करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभा[illegible]के अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थि[illegible] भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा– 30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या एसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन/ सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारित किया गया। RFCTLARR 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण **(Solatium)** आंगणित करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो परिसम्पत्तियाँ सरकारी भूमि में स्थित हैं, उन पर तोषण देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा. नि.वि. खण्ड, सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी के आधार पर स्ट्रेक्चर कोड नम्बर में निर्मित संरचना के संबंध में **DB–118(A)(LHS)** भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णय–आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया:–

| क्रमांक | गांव का नाम | खसरा नम्बर | स्ट्रक्चर कोड | भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 6 | आमाली | 265 निजी | **DB–118(A)(LHS)** | पूरणमल पुत्र घासीराम |
| चैनेज | नेट वेल्यू | | मूल दर का 100 प्रतिशत सोलेशियम | कुल निर्धारित प्रतिक धनराशि |
| 160+100 | 639502 | | 639502 | 1279004 |

अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमाण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है । वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। उपरोक्त आपत्तियाँ बिना एक दूसरे पर प्रभाव डाले प्रस्तुत की जा रही हैं जिनसे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की जो मुआवजा राशि पूरक अधिनिर्णय – आदेश दिनांक 20.11.2020 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है, प्रार्थीगण इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करे। प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जो अवार्ड पारित किया गया वह सम्पूर्ण रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम आमाली तहसील बसवा के खसरा नंबर 265 में स्थित संरचना संख्या डीबी 118 ए एलएचएस का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई से करवाया गया। उक्त संरचना एन.एच.148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई द्वारा निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

की गई मूल्यांकन राशि की दुगुनी राशि का मुआवजा निर्धारण कर उक्त संरचना का अवार्ड दिनांक 12.11.2020 को पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार बसवा द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत नियमानुसार प्रकिया पूर्ण कर पारित किया गया है। अवार्ड के अनुसार संरचना सं0 डीबी 118 ए एलएचएस की मूल्यांकन राशि 639502/– की दुगुनी राशि 1279004/–रू0 का मुआवजा पूरण पुत्र घासीराम के नाम स्वीकृत हुआ है जो कि आवेदन करने पर मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को बैंक खाते के माध्यम से किया जा चुका है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।
8. हमारे समक्ष विवाद के दो बिन्दु हैः–सर्वप्रथम क्वांटिटी की गणना जिसको ध्वस्त किया गया है एवं दरों की गणना जिसके आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
9. जहॉ तक दरों की बात है तो वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सर्कुलर एक्स–3/2015 एवं बीएसआर 2019 के तहत 8100/–रू0 प्रति वर्गमीटर, 7130/– रू0 का उपयोग लिया गया है। वहीं प्रार्थी द्वारा यह 9635.40 रू0 प्रति वर्गमीटर, 8100/–रू0 प्रति वर्गमीटर, 8530/–रू0 प्रति वर्गमीटर ली गई है। प्रार्थी द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र एक्स–3/2015 का उल्लेख किया गया है। हमने उक्त सर्कुलर का अवलोकन किया गया। उक्त सर्कुलर में कहीं भी 9635.40 रू0 प्रति वर्गमीटर एवं 8530 रू. प्रति वर्गमीटर का उल्लेख नहीं है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत दरों का चयन किया गया है।
10. जहॉ तक क्वांटिटी का प्रश्न है तो विवाद का बिन्दु यह है कि एनएचएआई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा मकान के आधे भाग की क्वांटिटी का मूल्यांकन किया गया है जबकि अवाप्ति स्वरूप प्रार्थी के मकान को ध्वस्त किये जाने पर संपूर्ण मकान ध्वस्त होगा। इस संबंध में अवाप्त की गई संरचना का नजरी नक्शा नीचे संलग्न है जिससे यह सिद्ध होता है कि आधी संरचना को अवाप्त किया गया है।

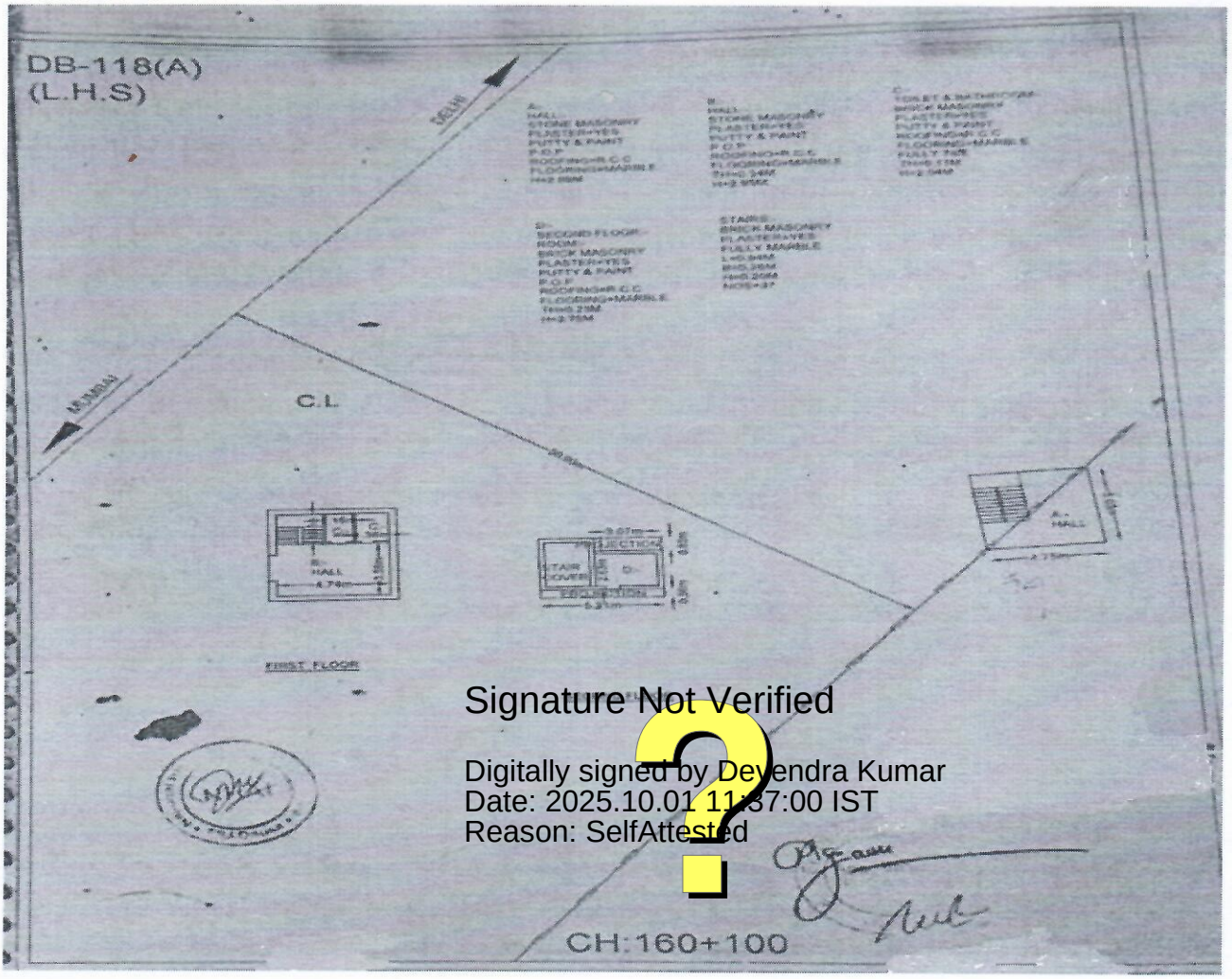


सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

11. इस बिन्दु पर चूंकि वर्तमान में नीतिगत निर्णय इस प्रकार से ही है कि जितनी संरचना को अवाप्त किया जाये उतने तक का ही मुआवजा दिया जाना संभव है।
12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा ग्राम समलेटी के खसरा नंबर 1004 व 1005 पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

DLC

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested